

पत्रांक/जी0एस0टी0/2023-24/

95

राज्य कर

कार्यालय-आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0
(जी0एस0टी0 अनुभाग)

लखनऊः दिनांक 17 मई, 2023

समस्त जोनल अपर आयुक्त, ग्रेड-1,
समस्त संयुक्त आयुक्त(कार्यपालक/कार्पो0 सर्किल)
उपायुक्त/सहायक आयुक्त/राज्य कर अधिकारी (कर अधिनिर्णयण)
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय के परिपत्र संख्या-2223075 दिनांक 29.03.2023 के द्वारा रिटर्न स्कूटनी के सम्बन्ध में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) के साथ समन्वय स्थापित करते हुए नोटिस डाउनलोड करने हेतु ऑनलाइन मॉड्यूल को प्रख्यापित किया गया था। वर्तमान समय में उक्त मॉड्यूल का प्रयोग करते हुए रिटर्न स्कूटनी के सम्बन्ध में ऑनलाइन नोटिस डाउनलोड की जा रही हैं तथा इन्हें boweb portal के माध्यम से करदाताओं को भेजा जा रहा है। विभिन्न व्यापारिक एवं अधिवक्ता संगठनों द्वारा इन नोटिसों के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां मुख्यालय के संज्ञान में लायी गयीं हैं-

ज्ञापनो में उठाये गये प्रमुख बिन्दु/समस्याएं निम्नवत हैं-

- i. ऐसे करदाता जिनकी बिक्री मात्र कुछ लाखों में है, उन्हें जी0एस0टी0आर0-9 एवं जी0एस0टी0आर0-9सी की बिक्री और देयकर में अन्तर बताकर नोटिस जारी किये जा रहे हैं जबकि दो करोड़ टर्नओवर से कम के व्यापारियों पर जी0एस0टी0आर0-9सी लागू ही नहीं है और न ही उनके द्वारा भरा गया है।
- ii. ऐसे करदाता जिन्हें जी0एस0टी0आर0 9 भरने की छूट प्रदान की गयी थी, उन्हें जी0एस0टी0आर0-9 एवं जी0एस0टी0आर0-3बी में घोषित बिक्री एवं देयकर में अन्तर बताकर नोटिस दिये जा रहे हैं।
- iii. ऐसे करदाता, जिन्होंने केवल सर्विस प्रदान की है एवं कोई भी आई0टी0सी0 क्लेम नहीं की है, उन्हें धारा-42 एवं धारा-43 के प्रावधान के अन्तर्गत आई0टी0सी0 रिवर्सल करने के लिए कहा जा रहा है।
- iv. जिन व्यापारियों ने फार्म ट्रान-1 एवं ट्रान-2 को नहीं भरा है, उनसे भी साक्ष्य माँगे जा रहे हैं।

फील्ड में कार्यरत कर निर्धारण इकाईयों के कार्य में एकरूपता लाने एवं ऑनलाइन नोटिस के सम्बन्ध में व्याप्त अस्पष्टता की स्थिति को हटाये जाने के लिए निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं-

2. UPGST/CGST अधिनियम की धारा 44 में दिनांक 01.08.2021 की प्रभावी तिथि से संशोधन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 की वार्षिक कर विवरणी के सम्बन्ध में पूर्व में प्रवर्तनीय धारा 44 के प्रावधान लागू होंगे। उक्त धारा के प्रावधान निम्नवत हैं-

44. Annual return -

(1) Every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person, shall furnish an annual return for every financial year electronically in such form and manner as may be prescribed on or before the thirty-first day of December following the end of such financial year.

(2) Every registered person who is required to get his accounts audited in accordance with the provisions of sub-section (5) of section 35 shall furnish, electronically, the annual return under sub-section (1) along with a copy of the audited annual accounts and a reconciliation statement, reconciling the value of supplies declared in the return furnished for the financial year with the audited annual financial statement, and such other particulars as may be prescribed.

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वार्षिक कर विवरणी दाखिल करते समय copy of the audited annual accounts एवं reconciliation statement की प्रति धारा 35(5) के अन्तर्गत दाखिल की जानी थी। वित्त अधिनियम 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत UPGST/CGST अधिनियम में किये गये संशोधनों के अन्तर्गत धारा 35(5) को दिनांक 01.08.2021 की प्रभावी तिथि से निरसित कर दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 की वार्षिक कर विवरणी के सम्बन्ध में धारा 35(5) के पूर्ववर्ती प्रावधान लागू होंगे। निरसन के पूर्व धारा 35(5) निम्नवत थी-

(5) Every registered person whose turnover during a financial year exceeds the prescribed limit shall get his accounts audited by a chartered accountant or a cost accountant and shall submit a copy of the audited annual accounts, the reconciliation statement under subsection (2) of section 44 and such other documents in such form and manner as may be prescribed.

धारा 35(5) से सम्बन्धित प्रावधान नियम 80 में दिये गये थे। दिनांक 01.08.2021 की प्रभावी तिथि से संशोधित किये जाने के पूर्व आलोच्य नियम 80 निम्नवत था-

80. Annual return.-

(1) Every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a nonresident taxable person, shall furnish an annual return as specified under sub-

section (1) of section 44 electronically in FORM GSTR-9 through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner: Provided that a person paying tax under section 10 shall furnish the annual return in FORM GSTR-9A.

(2) Every electronic commerce operator required to collect tax at source under section 52 shall furnish annual statement referred to in subsection (5) of the said section in FORM GSTR -9B.

(3) Every registered person other than those referred to in the proviso to sub-section (5) of section 35, whose aggregate turnover during a financial year exceeds two crore rupees shall get his accounts audited as specified under sub-section (5) of section 35 and he shall furnish a copy of audited annual accounts and a reconciliation statement, duly certified, in FORM GSTR-9C, electronically through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के वार्षिक रिटर्नों की स्कूटनी के समय UPGST/CGST अधिनियम की तत्समय प्रवर्तनीय धारा 44, धारा 35(5) एवं नियम 80 को दृष्टिगत रखते हुए ही अभिलेखों की मांग एवं अग्रतर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये।

2.1 वार्षिक रिटर्न अर्थात् GSTR-9 दाखिल किये जाने की मौद्रिक सीमा निर्धारण करने के क्रम में GST अधिनियम की धारा 148 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-47/2019 दिनांक 09.10.2019 एवं इसके समतुल्य राज्य स्तर से जारी अधिसूचना संख्या-1557 दिनांक 15.11.2019 द्वारा रू0 02 करोड़ से कम आवर्त(Turnover) वाले व्यापारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 हेतु वार्षिक रिटर्न दाखिल करना स्वैच्छिक(Optional) किया गया था। अतः रू0 02 करोड़ से कम आवर्त वाले करदाता जिनके द्वारा GSTR-9 दाखिल नहीं किये जाने का विकल्प चुना गया है उनके सम्बन्ध में GSTR-9 से सम्बन्धित आपत्तियां नहीं उठायी जायें।

2.2 वित्त अधिनियम 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत UPGST/CGST अधिनियम में किये गये संशोधनों के अन्तर्गत धारा 42, 43 एवं 43क को निरसित कर दिया गया था। निरसन के पूर्व उपरोक्त धारा 42 Matching, reversal and reclaim of input tax credit -एवं धारा 43 Matching, reversal and reclaim of reduction in output tax liability के सम्बन्ध में उपबंध करती थी। ऐसी स्थिति में जहां किसी करदाता के द्वारा आईटीसी का कोई दावा नहीं किया गया है, उस स्थिति में धारा 42 एवं धारा 43 की कोई प्रयोज्यता नहीं है तथा उक्त आधार पर कोई आपत्ति नहीं उठायी जानी चाहिए।

2.3 इसी प्रकार ऐसे प्रकरण जहां करदाता द्वारा TRAN-1 एवं TRAN-2 दाखिल नहीं किया गया है वहां TRAN-1 एवं TRAN-2 के माध्यम से अग्रणीत आईटीसी के सम्बन्ध में साक्ष्य नहीं मांगा जाना चाहिए।

3. उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

17/5/23
(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 / /तद दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:—संयुक्त आयुक्त(आईटीसी) राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

अपर आयुक्त(जी0एस0टी0)
राज्य कर, मुख्यालय।